(छ.ग.) कार्यालय नगर पालिक निगम बीरगांव

कार्यालय नगर पालिक निगम बीरगांव,जिला–रायपुर (छ.ग.)

क्रं./ 89 /न.पा.नि./जलप्रदाय शाखा/2019–20/ बीरगांव,दिनांक 15/11/2019

मैन्युअल पद्धति निविदा आमंत्रण सूचना–IInd Call

छ.ग. शासन लोक निर्माण विभाग में एकीकृत पंजीयन से पंजीकृत सक्षम श्रेणी के फर्मो/ठेकेदारों से निम्नांकित कार्यो हेतु छ.ग. शासन द्वारा नगरीय निकायों के लिए निर्धारित प्रपत्र 'अ' में लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग में प्रचलित यू.एस.ओ.आर. पार्ट–I प्रभावशील दिनांक 07.02.2013 से निविदा जारी दिनांक तक समस्त संशोधनों सहित प्रतिशत दर पर तीन लिफाफा पद्धति में सीलबंद निविदाएं अधोहस्ताक्षरकर्ता के कार्यालय में आमंत्रित है। निविदा प्राप्त होने की अंतिम तिथि 02.12.19 अपरान्ह 3.00 बजे तक। प्राप्त निविदाओं को खोलने की तिथि 02.12.19 सायं 4.00 बजे।

क्रं.	कार्य का नाम	अनुमानित लागत (लाख रू.)
1	वार्ड क्रं. 29 में डी. आई. पाईप लाईन विस्तारीकरण कार्य। पार्षद निधि वार्ड क्रं. 29 वर्ष–2019–20	4.00

निविदा की सामान्य शर्तें धरोहर राशि, विस्तृत निविदा विज्ञप्ति, निविदा दस्तावेज व अन्य जानकारी कार्यालयीन अवधि में कार्यालय से प्राप्त की जा सकती है। साथ ही यह जानकारी नगर पालिक निगम बीरगांव की वेबसाईट www.nagarnigambirgaon.com अथवा संचालनालय की बेबसाईट www.uad.cg.gov.in से भी डाउनलोड की जा सकती है।

आयुक्त

पृ. क्रं./ 90 /न.पा.नि./जलप्रदाय शाखा/2019–20/ बीरगांव,दिनांक 15/11/2019

प्रतिलिपि :–

01. निज सहायक, मान. विधायक, रायपुर ग्रामीण की ओर सादर सूचनार्थ सम्प्रेषित।
02. निज सहायक, मान. महापौर, नगर पालिक निगम, बीरगांव की ओर सादर सूचनार्थ सम्प्रेषित।
03. मान. सभापति, नगर पालिक निगम, बीरगांव की ओर सादर सूचनार्थ सम्प्रेषित।
04. एम.आई.सी. सदस्य (जलप्रदाय शाखा) नगर पालिक निगम, बीरगांव की ओर सादर सूचनार्थ सम्प्रेषित।
05. श्री/श्रीमति————————————मान. पार्षद, वार्ड क्रं——— नगर पालिक निगम, बीरगांव की ओर सादर सूचनार्थ सम्प्रेषित।
06. संपादक, दैनिक समाचार पत्र..........................रायपुर की ओर समाचार पत्र के आगामी साधारण अंक में *एक दिवस न्यूनतम स्पेश* में प्रकाशन हेतु सादर प्रेषित। कृपया प्रकाशन उपरांत प्रकाशित समाचार पत्र की कम से कम दो प्रतियों के साथ देयक भुगतान हेतु प्रेषित करने का कष्ट करेंगे।
07. डॉटा सेन्टर,संचालनालय, नगरीय प्रशासन एवं विकास, नया रायपुर, छ.ग. की ओर संचालनालय की बेबसाईट www.uad.cg.gov.in में अपलोड करने हेतु।
08. कार्यालय नगर पालिक निगम बीरगांव,जिला–रायपुर (छ.ग.) नोटिस बोर्ड में चस्पा हेतु सादर प्रेषित।

आयुक्त
नगर पालिक निगम बीरगांव
जिला–रायपुर (छ.ग.)

Scanned by CamScanner

कार्यालय नगर पालिक निगम बीरगांव,जिला–रायपुर (छ.ग.)

डी. आई. पाईप लाईन विस्तारीकरण कार्य, पार्षद निधि वार्ड क्र. 29 (2019–20)

मैन्यूअल पद्धति द्वितीय निविदा आमंत्रण सूचना क्र. 89/15.11.19

निविदा की शर्तें

01. निविदा के प्रत्येक समूह के लिए अलग–अलग आवेदन करना अनिवार्य है।

02. सशर्त निविदा स्वीकार नहीं की जावेगी।

03. निविदा की सामान्य शर्तें, धरोहर राशि, विस्तृत निविदा विज्ञप्ति, निविदा दस्तावेज व अन्य जानकारी कार्यालयीन अवधि में कार्यालय से प्राप्त की जा सकती है।

04. निविदा प्रपत्र प्राप्त करने हेतु पात्रता :–

(1) एकीकृत पंजीयन से पंजीकृत ठेकेदार का सक्षम श्रेणी में जीवित पंजीयन प्रमाण पत्र

(2) यदि पार्टनरशिप फर्म है तो पार्टनर शीप डीड प्रमाण पत्र

(3) पैन कार्ड

(4) जी.एस.टी. पंजीयन प्रमाण पत्र

(5) वर्ष 2017–18 एवं 2018–19 का आई.टी.आर.।

(6) राजस्व शोध क्षमता प्रमाण पत्र अथवा बैंक साल्वेंसी/बैंक गारंटी – रू. 0.25 लाख की राजस्व शोध क्षमता प्रमाण पत्र अथवा बैंक साल्वेंसी अथवा बैंक गारंटी। जो कि 12 माह से अधिक पुरानी न हो।

(7) प्रशिक्षित यंत्री नियुक्त करने संबंधी प्रमाण–पत्र।

स.क्र. 01 से 07 तक इन सभी दस्तावेजों की नोटरी द्वारा सत्यापित प्रतियां जमा करना अनिवार्य होगी। पात्रता परीक्षण उपरांत पात्र होने की दशा में ही निविदा प्रपत्र प्रदाय की जावेगी।

(8) विभाग/संस्था द्वारा ब्लैक लिस्टेड नहीं होने का रू. 100/– के नॉन–ज्यूडिशियल स्टॉम्प पेपर पर शपथ–पत्र की मूल प्रति।

05. यदि निविदाकार एक से अधिक समूह में निविदाएं प्रस्तुत करना चाहता है तो प्रत्येक निविदा समूह के लिए कण्डिका क्रं. (04) के अनुसार नोटरी द्वारा सत्यापित दस्तावेजों का पृथक–पृथक सेट जमा करना अनिवार्य होगा।

06. निविदा प्रपत्र मूल्य व अमानत राशि :– अमानत राशि एफ.डी.आर. के रूप में ही स्वीकार की जावेगी।

क्रं.	कार्य का नाम	अनुमानित लागत (लाख रू.)	अमानत राशि रू.		निविदा प्रपत्र मूल्य रू.	कार्य अवधि (वर्षा ऋतु को छोड़कर)
1	वार्ड क्रं. 29 में डी. आई. पाईप लाईन विस्तारीकरण कार्य। पार्षद निधि वार्ड क्रं. 29 वर्ष–2019–20	4.00	4000.00	FDR	750.00	60 दिवस

07. लाख चापड़ा से सीलबंद निविदाएं ही स्वीकार की जावेगी।

08. छत्तीसगढ़ शासन द्वारा नगरीय निकायों के लिए निर्धारित निविदा प्रपत्र "ए", "बी" व "सी" नगर पालिक निगम बीरगांव व विभाग की वेबसाईट में उपलब्ध है। संचालनालय, नगरीय प्रशासन एवं विकास, इन्द्रावती भवन, चतुर्थ तल, डी–ब्लॉक, अटल नगर, नवा रायपुर छत्तीसगढ़ के पत्र क्रं./यां.प्र.–5/2019/10310, अटल नगर, नवा रायपुर, दिनांक 19.09.2019 अनुसार निविदा फार्म नगर पालिक निगम बीरगांव की वेबसाईट www.nagarnigambirgaon.com अथवा संचालनालय की बेबसाईट www.uad.cg.gov.in से डाउनलोड कर निर्धारित निविदा प्रपत्र शुल्क डी.डी. के माध्यम से जमा किया जावेगा।

09. लिफाफा 'अ' में आयुक्त, नगर पालिक निगम,बीरगांव के नाम से निविदा प्रपत्र के मूल्य के बराबर की डी.डी. व अमानत राशि का एफ.डी.आर., लिफाफा 'ब' में कण्डिका क्रं. (04) एवं (05) अनुसार नोटरी द्वारा सत्यापित दस्तावेजों का पृथक–पृथक सेट अर्थात् पात्रता संबंधी दस्तावेज एवं लिफाफा 'स' में निविदा प्रपत्र देना होगा।

10. पहले लिफाफा 'अ' अर्थात् निविदा प्रपत्र शुल्क की डी.डी. व अमानत राशि का एफ.डी.आर. वाला लिफाफा खोला जावेगा। निविदा प्रपत्र की निर्धारित शुल्क की डी.डी. व निर्धारित अमानत राशि का एफ.डी.आर संलग्न होने पर ही लिफाफा 'ब' खोला जावेगा। अन्यथा निविदा अस्वीकार कर दिया जावेगा। लिफाफा 'ब' में प्रस्तुत दस्तावेजों का बिंदु कमांक 04 एवं 05 अनुसार परीक्षण उपरांत पात्र पाये जाने की स्थिति में ही लिफाफा 'स' अर्थात् निविदा प्रपत्र का लिफाफा खोला जावेगा। अन्यथा लिफाफा 'स' नहीं खोला जावेगा व निविदा अस्वीकार कर दिया जावेगा।

Scanned by CamScanner

11. जो भी निविदा निर्धारित अंतिम तिथि व समय के पश्चात् प्राप्त होगी, वह नहीं खोली जावेगी तथा वापस लौटा दी जावेगी।
12. अपरिहार्य कारणों से यदि निविदा प्राप्ति की अंतिम तिथि अथवा निविदा खोलने की तिथि को अवकाश घोषित होता है तो ऐसी स्थिति में निविदा प्राप्ति की अंतिम तिथि आगामी कार्य दिवस को माना जावेगा।
13. कार्य की लागत/मात्रा में कमी अथवा वृद्धि की जा सकती है। जिसमें कोई आपत्ति स्वीकार नहीं होगी।
14. निर्धारित समयावधि में कार्य पूर्ण नहीं करने पर ठेकेदार के देयक से निविदा/संविदा की शर्तों के अनुसार कटौती की जावेगी अथवा निविदा निरस्त कर अमानत राशि राजसात कर ली जावेगी। पुनः निविदा कर अन्तर की राशि निविदाकार से वसूली की जावेगी।
15. पाईप लाईन विस्तारीकरण में टेस्टिंग के पश्चात् 06 महीने तक लीकेज होने पर मरम्मत / संधारण का कार्य करना आवश्यक होगा। जिसमें होने वाला अतिरिक्त व्यय ठेकेदार को स्वयं वहन करना होगा। इसके लिए पृथक से भुगतान देय नहीं होगा। छः महीने निःशुल्क संधारण मरम्मत कार्य की जिम्मेदारी निविदाकार की होगी।
16. उपयोग किया गया सामग्री आई.एस.आई. मार्क एवं निर्धारित मानदण्डों के अनुरूप होना अनिवार्य है।
17. पाईप लाईन विस्तारीकरण उपरांत काटे गए रोड की भराई/कांक्रीटीकरण आदि मरम्मत कार्य ठेकेदार को करनी होगी, जिसके लिए अनुबंधित दरों पर भुगतान देय होगा।
18. यदि आयुक्त/इंजीनियर की राय में कोई भी किया गया काम विकृत/अपूर्ण या कुशल कारीगर के नहीं है या उसमें उपयोग किया गया सामान हीन है, तो लिखित में मांग किये जाने पर वह ठेकेदार उसमें तुरंत सुधार करेगा, उसे हटायेगा या उसकी पूरी तरह या अंशतः जैसी भी परिस्थिति हो पुनः निर्माण करेगा जिसके लिए कोई अतिरिक्त भुगतान नहीं किया जावेगा और उसके इस कार्यों को आयुक्त/इंजीनियर जैसी भी परिस्थिति हो द्वारा निर्धारित समयावधि में पूरा करने से इंकार करने पर या हीन गुणों के समझे गये सामान को और ठेके शर्तों के विपरीत सामान को कार्य स्थल से निर्धारित समय में हटाने और निष्प्रयोजन वस्तुओं या सामग्री के स्थान पर शीघ्र ही योग्य वस्तु या सामान न जाने पर आयुक्त/इंजीनियर द्वारा लिखित मांग किये जाने से 10 दिन से अनाधिक समय में अनुपालन ना करने पर प्राक्कलन की राशि पर एक प्रतिशत की दर से क्षति का भुगतान ठेकेदार को करना होगा।
19. निर्माण में नगर पालिक निगम अधिनियम तथा कार्य विभाग मैन्यूअल का पालन करना होगा ।
20. छ.ग. शासन नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग मंत्रालय के आदेश क्रमांक एफ–5/190/18/05 रायपुर दिनांक 19/01/2012 के अनुसार :– "सफल निविदादाता से अनुबंध के समय अतिरिक्त परफार्मेंस राशि जमा कराई जावेगी, जबकि निविदा के दरों में काफी कमी हो, जैसे निविदादाता को अनुमानित लागत से 10 प्रतिशत से कम निविदा दर होने पर सफल निविदादाता को निविदा दर एवं अनुमानित लागत के 90 प्रतिशत के अंतर की राशि के समतुल्य परफार्मेंस गारंटी के रूप में राष्ट्रीयकृत बैंक/छ.ग. शासन द्वारा अधिसूचित बैंक का एफ.डी.आर., पोस्ट ऑफिस टाईम डिपॉजिट, एन.एस.सी. जो कि संबंधित निकाय के आयुक्त के नाम से देय होगा, जमा कराना अनिवार्य होगा । उपरोक्त राशि को जमा न कराने की दिशा में निविदा निरस्त कर दी जावेगी।"
21. अनुबंध की शर्तों के उल्लघंन की स्थिति में ठेका निरस्त कर अमानत राशि राजसात की जायेगी।
22. अमानत राशि/सुरक्षा निधि की वापसी अनुबंध अवधि पूर्ण होने पर अदेय प्रमाण पत्र जारी करने के पश्चात् किया जावेगा।
23. प्राप्त निविदा दर निगोशिएशन का अधिकार निकाय के पास सुरक्षित रहेगा।
24. किसी भी निविदा को स्वीकृत/अस्वीकृत/निरस्त करने का अधिकार आयुक्त,नगर पालिक निगम बीरगांव के पास सुरक्षित रहेगा।
25. किसी भी प्रकार की विवाद की स्थिति में आयुक्त, नगर पालिक निगम, बीरगांव का निर्णय अंतिम होगा।

(कार्यालय नगर पालिक निगम (छ.ग.) बीरगांव — seal)

for आयुक्त
नगर पालिक निगम, बीरगांव
जिला–रायपुर (छ.ग.)

Scanned by CamScanner